



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं०: 8बी/यू0पी0/06/32/2023/एफ.सी. 313

दिनांक: 24.08.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/153349/2022

विषय: जनपद कौशाम्बी में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी 49.155 से किमी 74.700 तक (सिगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाईब्रिड वार्षिक मोड पर क्रास कर रहे एन0एच0-731ए जिला कौशाम्बी में प्रस्तावित 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण में प्रभावित 15.461 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 295/11-सी-FP/UP/Road/153349/2022, दिनांक 02.08.2023
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3878/11-सी-FP/UP/Road/153349/2022, दिनांक 08.06.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-43/81-2-2023-800(34)/2023, दिनांक 01.03.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 24.03.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र (सन्दर्भ संख्या 2) के माध्यम से प्रेषित की गई थी। प्रकरण को दिनांक 22.06.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 6.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी/सूचना के अभाव में प्रकरण को आस्थगित (defer) कर दिया गया था।

- 1- Revised KML file needs to be provided to support the reply of EDS dated 08.06.2023 of query at S.No. 2.
- 2- As per the previous query SI No.-III regarding uploading of SOI toposheet on the portal is still not resolved. Adjacent SOI toposheet (63G/6) of the area proposed for diversion also needs to be uploaded on PARIVESH Portal for complete depiction of complete alignment.
- 3- Alternate area needs to be proposed for CA. Accordingly, KML file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on PARIVESH Portal.
- 4- User agency/DFO needs to certify that the road was constructed prior to 1980.

उपरोक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र (सन्दर्भ संख्या 1) द्वारा प्राप्त हुयी है जिसपर विचारोपरान्त प्रकरण को दिनांक 10.08.2023 को को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 8.12 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :-

1. Alternate area needs to be proposed for CA.
2. Documentary evidence related to existence of road prior to 1980 needs to be submitted.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)